पत्र संख्या-9/पें०(6)-02/2018 63/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना सह वित्त विभाग

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सरकार के सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 8/5/19

विषय:- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण कर पेंशन अदायगी आदेश र्निगत के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि भवदीय कार्यालय को योजना सह वित्त विभाग के संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 द्वारा 7th PRC के आलोक में पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O.) निर्गत करने का दायित्व दिया गया है ।

कतिपय सूचनाओं के अभाव में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों का 6th PRC के PART-B के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण बैंकों द्वारा नही किया जा सका है । इस मामले में दायर याचिका W.P(S) No. 2495/2015 छोटे राय बास्के एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ संलग्न 9 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में पेंशन पुनरीक्षण के दावों के संबंध में उत्पन्न विसंगतियों को यथाशीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।

अतः संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 के अनुपालन के क्रम में वैसे सेवानिवृत/मृत कर्मी जिन्हें 6th PRC के PART-B से लाभ प्राप्त हो रहा है उनके मामले में भी पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O.) निर्गत करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक सं०:- 63/वि० व्य०                                                  राँची, दिनांक 8/5/19

प्रतिलिपिः- सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी पेंशन अदायगी बैंको को सूचनार्थ पत्र की प्रति उपलब्ध करावें ।

(सतेन्द्र सिंह)
सरकार के सचिव (व्यय) ।